न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 82 सन् 2019
पंजीयन दिनांक 19.07.2019

बालु पिता डालु जाति गुर्जर निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. नारायण पिता तारू जाति गुर्जर निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सीताबाई पत्नि अम्बालाल जाति कुमावत निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. लीलाबाई पत्नि जगन्नाथ जाति कुमावत निवासी चारणो की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. अम्बालाल पिता लाला जाति कुमावत निवासी चारणो की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. जगन्नाथ पिता लाला जाति कुमावत निवासी चारणो की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. शंकरलाल पिता भेरूलाल जाति नाई निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी एवं तहसीलदार तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 43/2015 वाद प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015

उपस्थित–
1. बगदीराम धाकड़–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सत्यनारायण शर्मा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. ऊंकारलाल कुमावत–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 7
5. रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,5 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित

(2) प्रकरण संख्या – डिक्री 83 सन् 2019
पंजीयन दिनांक 19.07.2019

बालु पिता डालु जाति गुर्जर निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. नारायण पिता तारू जाति गुर्जर निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सीताबाई पत्नि अम्बालाल जाति कुमावत निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. लीलाबाई पत्नि जगन्नाथ जाति कुमावत निवासी चारणो की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. अम्बालाल पिता लाला जाति कुमावत निवासी चारणो की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. जगन्नाथ पिता लाला जाति कुमावत निवासी चारणो की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. शंकरलाल पिता भेरूलाल जाति नाई निवासी नेतावलगढ पाछली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
7. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी एवं तहसीलदार तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 43/2015 वाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2016

उपस्थित- 1. बगदीराम धाकड़-अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सत्यनारायण शर्मा-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. ऊंकारलाल कुमावत-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 7
5. रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,5 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 06.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात मोजा नेतावलगढ पाछली तहसील चित्तौड़गढ की खतौनी सं. 277 मे दर्ज आराजी नम्बर 553 रकबा 7.54 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/4, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/12, प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/6, रेस्पोडेन्ट सं. 4 व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 व रेस्पोडेन्ट सं. 6 का 1/4 हक व हिस्सा निहित है। उक्त कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 प्रतिवादीगण अपने-अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, जिसका विभाजन नही होने से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 प्रतिवादीगण आये दिन विवाद करते है, जिससे विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 प्रतिवादीगण की तामील नही हुई। बिना तामील के उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नेतावलगढ पाछली मे नियत की गई, जिसमे बिना किसी लिखित राजीनामे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र बिना साक्ष्य व सबुत के स्वीकार करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से फर्द बंटवाडा तलब किया गया जिस पर कमिश्नर स्वयं ने फर्द बंटवाडा तैयार नही कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 को बिना सूचना दिये फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.09.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे दिनांक 26.09.2016 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है। जिससे प्रतिवादी सं. 5 अपीलान्ट ने असंतुष्ट होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री व उसके पश्चात् पारित अंतिम निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने इस न्यायालय मे अलग-अलग अपीले म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध अलग-अलग अपीले प्रस्तुत होने पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 82/2019 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 83/2019 दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1,4 व 7 जरिये अधिवक्तागण उपस्थित। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की है जिसमे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एक ही होकर पक्षकारान भी समान होने से एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो अपीलो मे शामिल रहे।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर दोनो अपीलो मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से दोनो अपीलो मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा नेतावलगढ पाछली तहसील चित्तौड़गढ की खतौनी सं. 277 मे दर्ज आराजी नम्बर 553 रकबा 7.54 हैक्टेयर कृषि आराजी के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/4, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/12, प्रतिवादी सं. 3 व 4 का 1/6, रेस्पोडेन्ट सं. 4 व अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 का 1/4, रेस्पोडेन्ट सं. 6 का 1/4 हक हिस्सा निहित होना अंकित किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 7 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो दिनांक 06.07.2015 तक अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तामील होकर प्राप्त नही हुए न ही लोक अदालत का कोई नोटिस जारी किया गया। बिना सूचना के उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत मे नियत की गई। जिसमे उभयपक्षकारान उपस्थित नही थे न ही किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा ही प्रस्तुत हुआ फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना साक्ष्य व सबूत के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये है। कमिश्नर से फर्द बंटवाडा तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार नही किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से बिना पक्षकारान को सूचित किये राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है। विवादित कृषि आराजीयात का पक्षकारान के मध्य पूर्व मे ही बंटवाडा हो रखा है, उसी अनुसार प्रतिवादी सं. 5 अपीलान्ट अपने हक व हिस्से मे आई कृषि भूमि खसरा नम्बर 553 के दक्षिणी भाग पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपने हक व हिस्से की कृषि आराजीयात पर ट्युबवेल खुदवा रखा है, विद्युत कनेक्शन ले रखा है। ऐसी स्थिति मे पूर्व मे हुए बंटवाडे के विपरीत बिना वैधानिक प्रक्रिया के बंटवाडा किया गया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 82/2019 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 83/2019 स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को उभयपक्षकारान को सुना जाकर बंटवाडा किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात मोजा नेतावलगढ पाछली की खाता सं. 277 मे दर्ज आराजी नम्बर 553 रकबा 7.54 हैक्टेयर के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए राज्य सरकार के द्वारा राजस्व लोक अदालत का गठन किया गया। दिनांक 06.07.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर नेतावलगढ पाछली अटल सेवा केन्द्र पर रखा गया जिसमे उभयपक्ष उपस्थित हुए। हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा किये जाने हेतु सहमति प्रदान की उसी सहमति के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के तहत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर से फर्द बंटवाडा तलब किया गया। कमिश्नर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने उभयपक्षकारान को सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त फर्द बंटवाडा पूर्व मे हुए बंटवाडे को मध्य नजर रखते हुए तैयार किया गया था। उसी फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 को पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.16 विधिसम्मत होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले म्याद होकर काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री की पालना की जाकर बंटवाडे का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड मे हो चुका है। मौके पर पत्थरगढी करवा ली गई है। अन्त मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलो को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को हक व हिस्से के अनुसार व अंतिम निर्णय व डिक्री को राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के परिप्रेक्ष्य मे होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलो को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने मोजा नेतावलगढ पाछली की आराजी नम्बर 553 रकबा 7.54 हैक्टेयर कृषि आराजीयात के बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तामील मे नियत होते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नेतावलगढ पाछली मे नियत की गई, जिसमे पक्षकारान की तामील भी नही हुई न ही सभी पक्षकारान राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित हुए, न ही किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा ही प्रस्तुत हुआ, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 पारित किये गये है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से फर्द बंटवाडा तलब किया गया, जिसमे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ कमिश्नर के द्वारा पक्षकारान को फर्द बंटवाडे के लिये सूचित नही किया गया व अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाडा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त फर्द बंटवाडे पर उभयपक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुने बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.09.2016 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किये है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 82/2019 व अपील क्रमांक डिक्री 83/2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 82/2019 व अपील क्रमांक डिक्री 83/2019 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 43/2015 रेवेन्यू वाद मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2016 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 व अन्य प्रतिवादीगण को वादपत्र मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 15.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)